उत्तर प्रदेश सरकार

शिक्षा विभाग

अनुभाग—18

अधिसूचना

18 अप्रैल, 1992 ई०

सं० 308/15-18-92—20 (25)—91—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा नियमावली, 1992

भाग—एक—सामान्य

1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा नियमावली, 1992 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2—सेवा की प्रास्थिति—उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें समूह "क" और समूह "ख" के (उच्चतर) पद समाविष्ट हैं।

3—परिभाषायें—जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :—

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य राज्यपाल से है ;

(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये।

(ग) "संविधान" का तात्पर्य 'भारत का संविधान' से है ;

(घ) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है ;

(ङ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है ;

(च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है ;

(छ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है ;

(ज) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा से है;

(झ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो, और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो ;

(ञ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष में जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग—दो—संवर्ग

4—सेवा का संवर्ग—(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उप-नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जिसमें पुरुष शाखा और महिला शाखा के पद सम्मिलित हैं, उतनी होगी जितनी परिशिष्ट—एक में दी गयी है,—परन्तु—

(1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या

(2) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जो वे उचित समझें।

भाग—तीन—भर्ती

5—भर्ती का स्रोत—सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायगी :—

(1) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश, निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा, उत्तर प्रदेश और निदेशक, उर्दू और प्राच्य भाषायें, उत्तर प्रदेश।	परिशिष्ट—एक के क्रम संख्या 6-12 पर उल्लिखित मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अपर शिक्षा निदेशकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(2) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक), अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार पाठ्यक्रम), अपर शिक्षा निदेशक (अनौपचारिक शिक्षा), अपर शिक्षा निदेशक (व्यावसायिक शिक्षा), अपर शिक्षा निदेशक (पर्वतीय) और अपर शिक्षा निदेशक (महिला शिक्षा)	परिशिष्ट—एक के क्रम-संख्या 13 से 16 पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों में से और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(3) संयुक्त शिक्षा निदेशक, वित्त, प्रशिक्षण, महिला और बेसिक शिक्षा), सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, निदेशक राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान, लखनऊ और, प्राचार्य, राज्य विद्यालयीय क्रीड़ा संस्थान, फैजाबाद।	परिशिष्ट—एक के क्रम संख्या—18 से 23 पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों में से और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(4) निदेशक, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान।	क्रम-संख्या (3) पर उल्लिखित अधिकारियों में से, जो परिशिष्ट–दो में पदों के समक्ष उल्लिखित अर्हतायें रखते हों, स्थानान्तरण द्वारा।
(5) उप शिक्षा निदेशक मण्डलीय, उप शिक्षा निदेशक, मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, प्रधानाचार्य, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद, अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, मुख्यालय पर तैनात अपर सचिव (प्रशासन) सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश और वरिष्ठ परामर्शी अनौपचारिक शिक्षा), राज्य शिक्षा संस्थान।	परिशिष्ट—एक के क्रम-संख्या 25 से 33 में उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों में से और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।

(6) निदेशक, मनोविज्ञान ब्यूरो, उत्तर, इलाहाबाद।	क्रम-संख्या (5) पर उल्लिखित अधिकारियों में से, जो परिशिष्ट दो में पद के समक्ष उल्लिखित अर्हतायें रखते हों, स्थानान्तरण द्वारा।
(7) जिला विद्यालय निरीक्षक (बालक एवं बालिकायें), मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), प्राचार्य, राजकीय सेन्ट्रल पेडागाजिकल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद, वरिष्ठ शोध अधिकारी, राजकीय सेन्ट्रल पेडागाजिकल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद, पाठ्य पुस्तक अधिकारी, अपर सचिव, पाठ्य पुस्तक, अपर सचिव (मान्यता), माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, परामर्शी (अनौपचारिक शिक्षा), उप प्राचार्य और सहयुक्त निदेशक, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद, रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षायें, सहायक शिक्षा निदेशक, शिक्षा मुख्यालय, संयुक्त सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्राचार्या, राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद।	परिशिष्ट एक के क्रम-संख्या 44 से 63 पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों में से और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।
(8) सहायक निदेशक, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, (9) प्रोफेसर, गणित, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, (10) प्रोफेसर, भौतिकी, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, (11) प्रोफेसर, रसायन, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, (12) प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, (13) वरिष्ठ शोध, मनोवैज्ञानिक, मनोविज्ञान ब्यूरो, इलाहाबाद, (14) निदेशक, राज्य हिन्दी संस्थान, वाराणसी, (15) प्राचार्य, राजकीय बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी, (16) प्राचार्य, राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ। (17) प्राचार्य, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद।	क्रम-संख्या (7) पर उल्लिखित अधिकारियों में से, जो परिशिष्ट-दो में पद के समक्ष उल्लिखित अर्हतायें रखते हों, स्थानान्तरण द्वारा।
(18) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सह जिला विद्यालय निरीक्षक, प्राधानाचार्य, राजकीय इण्टरमीडिएट	(एक) 50 प्रतिशत आयोग द्वारा संचालित संयुक्त राज्य सेवायें परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा,

कालेज (बालक या बालिका), सहायक उप-शिक्षा निदेशक, वैयक्तिक सहायक शिक्षा निदेशक (माध्यमिक और बेसिक), उप पाठ्य पुस्तक अधिकारी, उप-सचिव, और अपर उप-सचिव, मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, सहायक उप शिक्षा निदेशक (पत्राचार पाठ्यक्रम), राज्य शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, शिक्षा प्रसार अधिकारी, उप प्रधानाचार्य, राजकीय बेसिक शिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी, शोध प्रोफेसर, राजकीय बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी, वरिष्ठ शोध प्रोफेसर, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद, उप प्रधानाचार्य/प्रोफेसर, गवर्नमेंट सेन्ट्रल पेडागाजिकल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद, प्रधानाचार्य, जूनियर बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, विशेष कार्याधिकारी (अनौपचारिक शिक्षा), जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी, मण्डलीय सह बालिका विद्यालय निरीक्षिका, उप प्रधानाचार्य और प्रोफेसर, राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद, प्रधानाचार्य, राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय।

(19) विज्ञान प्रगति अधिकारी, प्रोफेसर, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, मनोवैज्ञानिक और क्षेत्रीय मनोवैज्ञानिक, प्रोफेसर और सहयुक्त प्रोफेसर, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, सहायक निदेशक, राज्य हिन्दी संस्थान, निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएं, उत्तर प्रदेश, निरीक्षक, अरबी मदरसा, विधि अधिकारी, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रामपुर, प्रोफेसर क्राफ्ट, राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ सांख्यिकीय अधिकारी, राज्य शिक्षा संस्थान और शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, प्रधानाचार्य, राजकीय महिला व्यायाम शिक्षण कालेज, इलाहाबाद प्रधानाचार्य, राजकीय महिला गृह विज्ञान कालेज, इलाहाबाद और प्रधानाचार्य, राजकीय नर्सरी प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद और आगरा, रिप्रोग्राफी अधिकारी।

(दो) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से—

(क) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय नार्मल स्कूल के प्रधानाध्यापकों और पुरुष शिक्षण शाखा के अन्य समकक्ष पदों,

(ख) राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय बालिका नार्मल विद्यालयों की प्रधानाध्यापिकाओं और महिला शिक्षण शाखा के अन्य समकक्ष पदों,

(ग) उप-विद्यालय निरीक्षक (बालक और बालिकाओं) और निरीक्षण और शिक्षणेत्तर शाखा में समकक्ष पदों पर नियुक्त, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से क्रमशः 61 प्रतिशत, 22 प्रतिशत और 17 प्रतिशत के अनुपात में, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

क्रम-संख्या (18) पर उल्लिखित उन अधिकारियों, जो परिशिष्ट दो में प्रत्येक पद के समकक्ष उल्लिखित अर्हताएं रखते हों, में से स्थानान्तरण द्वारा।

परन्तु यदि क्रम संख्या (1), (2), (3), (5), और (7) पर उल्लिखित पदों के सम्बन्ध में पर्याप्त संख्या में उपयुक्त पात्र व्यक्ति पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हों तो सरकार द्वारा अपेक्षित सेवा अवधि को शिथिल किया जा सकता है।

6—आरक्षण—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और इस प्रकार की अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग-चार—अर्हताएं

7—राष्ट्रीयता—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश-केन्या, उगान्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप-महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले :

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8—शैक्षिक अर्हता—सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि किसी अभ्यर्थी के पास निम्नलिखि अर्हताएं हो :—

पद	अर्हता/आवश्यक
(1) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (2) सह जिला विद्यालय निरीक्षक (3) जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी (4) सहायक उप शिक्षा निदेशक (5) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक और बेसिक) के वैयक्तिक सहायक (5) उप-पाठ्य पुस्तक अधिकारी (7) उप सचिव और अवर उप सचिव मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश (8) सहायक उप शिक्षा निदेशक (पत्राचार पाठ्य-क्रम), राज्य शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (9) शिक्षा प्रसार अधिकारी	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। अधिमानी शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश का एल० टी० डिप्लोमा। या बी० टी० या बी० एड० या किसी विश्वविद्यालय की कोई समकक्ष उपाधि।

(10) वरिष्ठ शोध प्रोफेसर, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद ।

(11) विशेष कार्याधिकारी (अनौपचारिक शिक्षा)

(12) मण्डलीय सह बालिका विद्यालय निरीक्षिका

(13) प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज (बालक या बालिका)

आवश्यक

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व-विद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि

(दो) शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश का एल० टी० डिप्लोमा ।

या

बी० टी० या बी० एड या किसी विश्वविद्यालय की कोई समकक्ष उपाधि ।

(तीन) किसी उच्चतर माध्यमिक या नार्मल विद्यालय के प्रधान के रूप में या इण्टरमीडिएट या उच्चतर कक्षाओं को या सी० टी० या एल० टी० प्रशिक्षण महा-विद्यालय में प्रवक्ता के रूप में पढ़ाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव ।

(14) उप प्रधानाचार्य, राजकीय बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी

(15) शोध प्रोफेसर, राजकीय बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय वाराणसी

(16) उप--प्रधानाचार्य/प्रोफेसर, गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल पेडा-गाजिकल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद

(17) प्रधानाचार्य, जूनियर बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय

(18) उप-प्रधानाचार्य प्रोफेसर, राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय इलाहाबाद ।

(19) प्रधानाचार्य राजकीय क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय ।

आवश्यक

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व-विद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि ।

(दो) शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश का एल० टी० डिप्लोमा ।

या

किसी विश्वविद्यालय की बी० टी० या बी एड० या कोई समकक्ष उपाधि ।

9---अधिमानी अर्हता--ऐसे अभ्यार्थी को---

(एक) जो नियम-8 में उल्लिखित किसी पद के सम्बन्ध में अधिमानी अर्हता रखता हो, या

(दो) जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो,

या

(तीन) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो,

अन्य बातों के समान होने पर, सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा।

10—आयु—सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु उस कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ आयोग द्वारा विज्ञापित की जाय, इक्कीस वर्ष की हो जानी चाहिए और पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए :

परन्तु प्रधानाचार्य, राजकीय इन्टरमीडिएट विद्यालयों (बालक या बालिकाओं के) के पद के लिए किसी अभ्यर्थी की आयु उस कलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें ऐसे पदों के लिए रिक्तियाँ आयोग द्वारा विज्ञापित की जाय, तीस वर्ष की होनी चाहिए और पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11—चरित्र—सेवा किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12—वैवाहिक प्रास्थिति—सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो :

परन्तु श्री राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

13—शारीरिक स्वस्थता—किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोषों से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी से उसे नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व, यह अपेक्षा की जायगी कि वह चिकित्सा परिषद द्वारा की गयी स्वास्थ्य परीक्षा में सफल रहे :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गए अभ्यर्थी से स्वस्थता चिकित्सा प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायगी।

भाग-पाँच-भर्ती की प्रक्रिया

14—रिक्तियों का अवधारण—नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्ति की संख्या और और नियम -6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना उनको दी जायगी।

15—सीधी भर्ती की प्रक्रिया—(1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र आयोग द्वारा विज्ञापन में विहित प्रपत्र में आमन्त्रित किये जायेंगे ।

(2) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा दिया गया प्रवेश-पत्र न हो ।

(3) आयोग लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा जितने इस सम्बन्ध में लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुँच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिये जायेंगे ।

(4) आयोग अभ्यर्थियों की प्रवीणता के क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की सिफारिश करेगा, जो वह नियुक्ति के लिये उचित समझे । यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर कुल अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायगा । सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी । आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित कर देगा ।

16—आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया—आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर की जायगी ।

17—चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया—(1) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिक्षा निदेशक (बेसिक), निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश, निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा और निदेशक, उर्दू एवं प्राच्य भाषाएँ के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती योग्यता के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(क) मुख्य सचिव — अध्यक्ष

(ख) शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव या दोनों — सदस्य

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कार्मिक विभाग — सदस्य

(2) परिशिष्ट एक के क्रम-संख्या—6 से 12 पर उल्लिखित पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती योग्यता के आधार पर की जायगी और क्रम संख्या 13 से 16, 18 से 23 और 25 से 33 पर उल्लिखित पदों पर भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(क) शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव या दोनों ।

(ख) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कार्मिक विभाग या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का न हो ।

(ग) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश ।

(घ) शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश ।

टिप्पणी—ज्येष्ठ सचिव चयन समिति का अध्यक्ष होगा ।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, अभ्यर्थियों की पात्रता सूची या सूचियां उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेख के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा :

परन्तु इस उपनियम के अधीन पात्रता सूचियां तैयार करते समय जहां दो अलग-अलग पोषक संवर्ग हों, वहां —

(एक) विभिन्न वेतनमान वाले अभ्यर्थियों की स्थिति में, उच्चतर वेतनमान वाले संवर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायगा।

(दो) समान वेतनमान वाले अभ्यर्थियों के नाम पात्रता सूची में उनके अपने-अपने संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में रखे जायेंगे।

(4) चयन समिति उपनियम (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(5) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की सूची ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

18—संयुक्त चयन सूची—यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से किये जायें तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार लिये जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग छः-नियुक्ति परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

19—नियुक्ति—(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम यथास्थिति, नियम 15, 16, 17 या 18 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में आये हों।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हों, वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 18 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, यथास्थिति, चयन में यथा अवधारित या उस संवर्ग में, जिससे उन्हें पदोन्नति किया जाय, विद्यमान ज्येष्ठता-क्रम में किया जायेगा। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाय तो नाम नियम 18 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार रखे जायेंगे।

20—परिवीक्षा—(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अंत में

नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय, वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

21—स्थायीकरण—(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अंत में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि—

[क] उसने विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो,

[ख] उसने विहित विभागीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो,

[ग] उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,

[घ] उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

[ङ] नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि स्थायीकरण के लिये यह अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहां, उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार, स्थायीकरण आवश्यक न हो तो वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुये आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायगा।

22—ज्येष्ठता—सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायगी :

परन्तु पुरुष शाखा और महिला शाखा के अधिकारियों की एक संयुक्त ज्येष्ठता सूची, जैसा कि वह उस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व विद्यमान थी, उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में तैयार की जायगी :

परन्तु यह और कि यदि उनकी मौलिक नियुक्ति का दिनांक वही हो तो उस अभ्यर्थी को, जिसकी आयु अधिक हो, ज्येष्ठता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायगा।

भाग-सात—वेतन इत्यादि

23—वेतनमान—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान परिशिष्ट—एक में दिये गये हैं।

24—परिवीक्षा अवधि में वेतन—(1) फण्डामेण्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये, भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो, जहां विहित हो वहां विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण किये हुये था, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेण्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य-कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

25—दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड—किसी भी व्यक्ति को दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग-आठ—अन्य उपबन्ध

26—पक्ष समर्थन—किसी पद पर या सेवा पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश, पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

27—अन्य विषयों का विनियमन—ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य-कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

28—सेवा की शर्तों में शिथिलता—जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

परन्तु नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श लिया जायेगा।

29—व्यावृत्ति—इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट 'एक'

[नियम 4 (2) देखिए]

समूह "क" पद

क्रम-संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या स्थायी	अस्थायी	योग	वेतनमान
1	2	3	4	5	6
1	शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश				
2	शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश				
3	निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश	1	4	5	5900-200-6700 रुपये।
4	निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा, उत्तर प्रदेश				
5	निदेशक, उर्दू एवं प्राच्य भाषाएँ, उत्तर प्रदेश				

1	2	3	4	5	6
6	अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)				
7	अपर शिक्षा निदेशन (बेसिक)				
8	अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार पाठ्यक्रम)				
9	अपर शिक्षा निदेशक (अनौपचारिक शिक्षा)	2	5	7	3700-125-4700-150-5,000 रुपये ।
10	अपर शिक्षा निदेशक (व्यावसायिक शिक्षा)				
11	अपर शिक्षा निदेशक (पर्वतीय)				
12	अपर शिक्षा निदेशक (महिला शिक्षा)				
13	संयुक्त शिक्षा निदेशक (वित्त, प्रशिक्षण, बेसिक एवं महिला शिक्षा)				
14	सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।				
15	निदेशक, राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान, लखनऊ	4	3	7	3200-100-3500-125-4875 रुपये ।
16	प्रधानाचार्य, राज्य विद्यालयीय क्रीड़ा संस्थान, फैजाबाद				
17	निदेशक, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान	—	1	1	तदैव
18	उप शिक्षा निदेशक और मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक				
19	मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका				
20	प्राचार्य, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद				
21	अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय और अपर सचिव (प्रशासन) मुख्यालय	32	16	48	3000-100-3500-125-4750 रुपये ।
22	सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश				
23	वरिष्ठ परामर्शी (अनौपचारिक शिक्षा), राज्य शिक्षा संस्थान				
24	निदेशक, मनोविज्ञान ब्यूरो, इलाहाबाद	1	—	1	3000-100-3500-125-4750 रुपये ।
25	जिला विद्यालय निरीक्षक (बालक और बालिका) मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)				
26	प्राचार्य और वरिष्ठ शोध अधिकारी, गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल पेडागाजिकल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद				
27	पाठ्य-पुस्तक अधिकारी				

1	2	3	4	5	6
28	अपर सचिव (पाठ्य-पुस्तक) और अपर सचिव (मान्यता) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश	72	37	109	3000-100-3500-125-4500 रुपये।
29	परामर्शी (अनौपचारिक शिक्षा), उप प्राचार्य और सहयुक्त निदेशक, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद				
30	रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षाएँ				
31	सहायक शिक्षा निदेशक, मुख्यालय				
32	संयुक्त सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश				
33	प्रधानाचार्य, राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद				
34	सहायक निदेशक, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान	1	—	1	3000-100-3500-125-4500 रुपये।
35	प्रोफेसर, गणित, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान	—	1	1	तदेव
36	प्रोफेसर, भौतिक विज्ञान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान	—	1	1	तदेव
37	प्रोफेसर, रसायन विज्ञान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान	—	1	1	तदेव
38	प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान	—	1	1	तदेव
39	वरिष्ठ शोध मनोवैज्ञानिक, मनोविज्ञान ब्यूरो, इलाहाबाद	2	—	2	3000-100-3500-125-4500 रुपये।
40	निदेशक, राज्य हिन्दी संस्थान, वाराणसी	1	—	1	तदेव
41	प्राचार्य, बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी	1	—	1	तदेव
42	प्राचार्य, राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ	1	—	1	तदेव
43	प्राचार्य, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद	1	—	1	तदेव
44	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	55	8	63	2200-75-2800-द०रो०-100-4000 रुपये।
45	सह जिला विद्यालय निरीक्षक	51	—	51	2200-75-2800-द०रो०-100-4000 रुपये।
46	प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज (बालक और बालिका)	286	438	644	2200-75-2800-द०रो०-100-4,000 रुपये।
47	सहायक उप शिक्षा निदेशक	7	3	10	तदेव
48	वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक और बेसिक)	1	1	2	तदेव

1	2	3	4	5	6
49	उप पाठ्य-पुस्तक अधिकारी	—	1	1	2200-75-2800-द०रो०-100-4,000 रुपये ।
50	उप सचिव और अपर उप-सचिव, मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश	5	16	21	तदैव
51	सहायक उप शिक्षा निदेशक (पत्राचार पाठ्यक्रम), राज्य शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।	—	6	6	तदैव
52	शिक्षा प्रसार अधिकारी	1	—	1	तदैव
53	उप-प्रधानाचार्य, राजकीय बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी	1		1	तदैव
54	शोध प्रोफेसर, राजकीय बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी	1	—	1	तदैव
55	वरिष्ठ शोध प्रोफेसर, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	1	1	2	तदैव
56	उप-प्रधानाचार्य, प्रोफेसर, गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल पेडागाजिकल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद	8	1	9	तदैव
57	प्रधानाचार्य, जूनियर बेसिक प्रशिक्षण कालेज	1	3	4	तदैव
58	विशेष कार्याधिकारी (अनौपचारिक शिक्षा)	—	12	12	तदैव
59	जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी	—	60	60	तदैव
60	मण्डलीय सह बालिका विद्यालय निरीक्षिका	5	—	5	तदैव
61	उप-प्रधानाचार्य, राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय इलाहाबाद	—	1	1	तदैव
62	प्रोफेसर, राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद	—	1	1	तदैव
63	प्रधानाचार्य, राजकीय क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय (मोदीनगर, गाजियाबाद, झाँसी और लखनऊ)	3	...	3	तदैव
64	विज्ञान प्रगति अधिकारी	—	11	11	तदैव
65	प्रोफेसर, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान	7	3	10	तदैव
66	मनोवैज्ञानिक और क्षेत्रीय मनोवैज्ञानिक	2	13	15	तदैव
67	प्रोफेसर और सहयुक्त प्रोफेसर, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद	2	1	1	तदैव
68	सहायक निदेशक, राज्य हिन्दी संस्थान, वाराणसी	—	1	1	तदैव

1	2	3	4	5	6
69	निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएँ, उत्तर प्रदेश	1	—	1	2200-75-2800-द०रो०-100-4,000 रुपये ।
70	निरीक्षक, अरबी मदरसा, उत्तर प्रदेश	1	—	1	तदैव
71	विधि अधिकारी, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश	—	1	1	तदैव
72	प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रामपुर	1	—	1	तदैव
73	प्रोफेसर, क्राफ्ट, राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ	1	—	1	तदैव
74	सांख्यिकीय अधिकारी, राज्य शिक्षा संस्थान और शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद	1	1	2	तदैव
75	प्रधानाचार्य, राजकीय महिला व्यायाम शिक्षण कालेज, इलाहाबाद	1	—	1	2200-75-2800-द०रो०-100-4,000 रुपये ।
76	प्रधानाचार्य, राजकीय महिला गृहविज्ञान महाविद्यालय, इलाहाबाद	1	—	1	तदैव
77	प्रधानाचार्य राजकीय नर्सरी प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद और आगरा	2	—	2	तदैव
78	रिप्रोग्राफी अधिकारी	—	1	1	तदैव

परिशिष्ट —'दो'

(नियम—5 देखिए)

क्रम-संख्या	पद का नाम	अर्हताएँ
1	निदेशक राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि ।
2	निदेशक, मनोविज्ञान ब्यूरो, इलाहाबाद	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या मास्टर आफ एजूकेशन (एम०एड०) की उपाधि या भारत सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि ।
3	सहायक निदेशक, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि ।

1	2	3
4	प्रोफेसर, गणित, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि ।
5	प्रोफेसर, भौतिक विज्ञान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि ।
6	प्रोफेसर, रसायन विज्ञान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि ।
7	प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि ।
8	वरिष्ठ शोध मनोवैज्ञानिक, मनोविज्ञान ब्यूरो, इलाहाबाद	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या मास्टर आफ एजूकेशन (एम० एड०) की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि ।
9	निदेशक, राज्य हिन्दी संस्थान, वाराणसी	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि ।
10	प्रधानाचार्य बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि । (दो) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से एल० टी० (बेसिक) में डिप्लोमा ।
11	प्रधानाचार्य, राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि । (दो) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एल० टी० (रचनात्मक) में डिप्लोमा ।
12	प्रधानाचार्य, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी भाषा में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि ।

1	2	3
13	विज्ञान प्रगति अधिकारी	विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ निम्नलिखित अर्थात् राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों या राजकीय नार्मल विद्यालयों (पुरुष सामान्य शाखा) में प्रधानाध्यापक (हेड मास्टर) या राजकीय बालिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों या राजकीय बालिका नार्मल विद्यालयों (महिला शाखा) में प्रधानाध्यापिका या उप-विद्यालय निरीक्षक (बालक एवं बालिका) या निरीक्षण और शिक्षणेत्तर शाखा में किसी अन्य समकक्ष पदों में से किसी पद पर कम से कम तीन वर्ष का अनुभव ।
14	प्रोफेसर, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान	विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ निम्नलिखित अर्थात् राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों या राजकीय नार्मल विद्यालयों (पुरुष सामान्य शाखा) में प्रधानाध्यापक (हेडमास्टर) या राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों या राजकीय बालिका नार्मल विद्यालयों (महिला शाखा) में प्रधानाध्यापिका या उप-विद्यालय निरीक्षक (बालक एवं बालिका) या निरीक्षण और शिक्षणेत्तर शाखा में किसी अन्य समकक्ष पदों में से किसी पद पर कम से कम तीन वर्ष का अनुभव ।
15	मनोवैज्ञानिक और क्षेत्रीय मनोवैज्ञानिक	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर या मास्टर आफ एजूकेशन (एम० एड०) की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि ।
16	प्रोफेसर और सहयुक्त प्रोफेसर, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद	अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ निम्नलिखित अर्थात् राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों या राजकीय नार्मल विद्यालयों (पुरुष सामान्य शाखा) में प्रधानाध्यापक (हेड मास्टर) या राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों या राजकीय बालिका नार्मल विद्यालयों (महिला शाखा) में प्रधानाध्यापिका या उप-विद्यालय निरीक्षक (बालक एवं बालिका) या निरीक्षण और शिक्षणेत्तर शाखा में किसी अन्य समकक्ष पदों में से किसी पद पर कम से कम तीन वर्ष का अनुभव ।
17	सहायक निदेशक, राज्य हिन्दी संस्थान, वाराणसी	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समकक्ष कोई अन्य उपाधि के साथ । शेष उपर्युक्त के अनुसार ।
18	निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएं, उत्तर प्रदेश	संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ सहायक निरीक्षक,

1	2	3
		संस्कृत पाठशालाएं के पद पर कार्य करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव ।
19	निरीक्षक, अरबी मदरसा, उत्तर प्रदेश	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अरबी या फारसी में स्नातकोत्तर उपाधि ।
20	विधि अधिकारी, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि के साथ विधि में उपाधि ।
21	प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रामपुर	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि के साथ व्यायाम शिक्षा में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा ।
22	प्रोफेसर (क्राफ्ट) राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एल० टी० (रचनात्मक) में डिप्लोमा ।
23	सांख्यिकी अधिकारी, राज्य शिक्षा संस्थान और शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद	गणित या गणितीय सांख्यिकी या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि ।
24	प्रधानाचार्य, राजकीय महिला व्यायाम शिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि और व्यायाम शिक्षा के किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से व्यायाम शिक्षा में डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र ।
25	प्रधानाचार्य, राजकीय महिला गृह विज्ञान महाविद्यालय, इलाहाबाद	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालत से स्नातकोत्तर उपाधि के साथ यूथेनिक्स में एल० टी० या बी० टी० या बी० एड० की उपाधि या गृह विज्ञान या गृह कला या गृह शिल्प या पारिवारिक विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा और विभाग या संस्थान या शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में दस वर्ष का शिक्षण अनुभव ।
26	प्रधानाचार्य, राजकीय नर्सरी प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद और आगरा	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि के साथ नर्सरी शिक्षा में विशेषज्ञता के साथ एल० टी० की उपाधि या नर्सरी शिक्षा में विशेष अध्ययन के साथ मास्टर आफ एजूकेशन (एम० एड०) की उपाधि ।
27	रिप्रोग्राफी अधिकारी	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि । (दो) शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश का एल० टी० डिप्लोमा या किसी विश्वविद्यालय की बी० टी० या बी० एड० या समकक्ष उपाधि ।

आज्ञा से,

कर्नल सिंह,

प्रमुख सचिव ।